

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF FORESTS**

3278
7/10/14

No.F.1(14) Forest/2013

Jaipur, dated: 29 SEP 2014

ORDER

In reference to the clearance issued by MoEF, GoI vide letter No. 8B/Raj/06/07/2013/FC/887 dated 06.08.2014 for the project proponent Executive Engineer PWD, Division Neemka thana, Rajasthan for Diversion of 0.60 ha. forest area for purpose of Construction of B.T. Road Of Missing Link Roads Under Missing Link Project RIDF- XVIII of Cheeplata- Ganeshwar Road Km. 6 To Heerwala Km 0/0 to 0/900 in village Cheeplata- Ganeshwar District Sikar, Rajasthan. The State Government hereby accords Approval of Final stage clearance under Section 2 of the Forest (Conservation) Act with the following conditions:-

1. The conditions imposed by MoEF, GoI in their clearance dated 08.2014 will be complied by all concerned.
2. This order along with conditions imposed by the Central Government according to stage I and stage II clearance are mandatorily required to be displayed in the website by State Forest Department as well as by MoEF, GoI.
3. The project proponent should publish the entire forest clearances granted in verbatim along with the conditions and safeguards imposed by the Central Government in Forest Clearance in two widely circulated daily newspapers one in vernacular language and the other in English language so as to make people aware of the permission granted to the project proponent for use of forest land for non-forest purposes.
4. The copies of the Forest clearance should also be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
5. Any other condition as and when imposed by the State Government.

sd/-
(C.S. Ratnasamy)
Secretary, Forest

Copy to the following for necessary compliance:-

1. Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Rajasthan, Jaipur.
2. Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Kendriya Bhawan, Lucknow.
3. Sr. Assistant Inspector General of Forests, In-charge, Monitoring Cell, Forest Conservation Division, Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi - 110 003 - with a request to ensure uploading of the order passed by the State Government on the MoEF website.
4. Director, Regional Office (Headquarters), Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi - 110 003.
5. Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), Rajasthan, Jaipur - with a request to get the order and clearances uploaded on the State Forest Department website.
6. Chief Conservator of Forests, IT, Aravali Bhawan, JLN Marg, Jaipur - to ensure the uploading of the order and clearances on the State Forest Department website.
7. Concerned Regional Chief Conservator of Forests, Jaipur.
8. Deputy Conservator of Forest, Sikar.
9. Executive Engineer PWD, Division Neemka thana, Rajasthan.
10. Guard File.

sd/-
Secretary, Forests

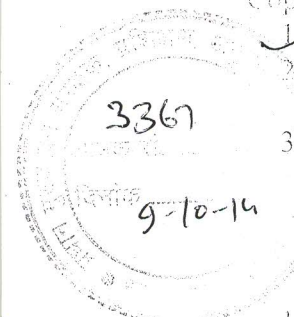
PCCF (TREE)

01/10/14

APCCF (FCA)

8/10

9/10



PCCF
7/10

9/10



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)

Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)



जहाँ है दरियाजी ।
वहाँ है झुपटावती ॥

2531

21/8/17

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025

Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8 बी/राज०/06/07/2013/एफ.सी. 1887

दिनांक: 06.08.2014

सेवा में,

प्रमुख सचिव {वन},
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

विषय : जनपद सीकर में चीपलाटा-गणेश्वर किमी० 6 से हीरवाला किमी० 0/0 से 2/900 तक सड़क निर्माण हेतु 0.60 हे० वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान का पत्रांक- एफ 14 () 2013/एफसीए/सीकर/प्र.मु.व.सं/5843, दिनांक 27.06.2013

महोदय,

उपरोक्त विषय पर का शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार का पत्रांक- प० 1(14)वन/2013, दिनांक- 05.03.2013 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 12.03.2013 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी अनुपालना प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद सीकर में चीपलाटा-गणेश्वर किमी० 6 से हीरवाला किमी० 0/0 से 2/900 तक सड़क निर्माण हेतु 0.60 हे० वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं शून्य वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।
4. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किया जायेगा।
6. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
7. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
8. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा।
12. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अति० वनमहानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, बानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान।
3. उप वन संरक्षक, सीकर, राजस्थान।
4. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड- नीम का थाना, सीकर, राजस्थान।
5. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश पत्रावली।

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (के०)



भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज,
लखनऊ-226024
टेलीफैक्स-0522-2326696

पत्र सं० 8बी/राज०/06/07/2013/एफ.सी. 11478

दिनांक: 12.03.2013

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन
जयपुर ।

विषय : जनपद सीकर में चीपलाटा-गणेश्वर किमी० 6 से हीरवाला किमी० 0/0 से 2/900 तक सड़क निर्माण हेतु 0.60 हे० वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार का पत्रांक- प० 1(14)वन/2013, दिनांक- 05.03.2013

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति माँगी गयी थी।

राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद सीकर में चीपलाटा-गणेश्वर किमी० 6 से हीरवाला किमी० 0/0 से 2/900 तक सड़क निर्माण हेतु 0.60 हे० वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं शून्य वृक्ष के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 07 से 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 07 से 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं० एफ०एन०. 5-3/2007/एफ०सी दिनांक 05.02.2009 दिशानिर्देश में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सी०ए०-1581, कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा कराया जाये।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती

(Handwritten signatures and stamps)

PTO

7. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक- 11.9.९8.६४२ कंजमक. 08.07.2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू-संदर्भित डिजिटल डाटा /मानचित्र प्रस्तुत करें जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा ;गेचर्ड फाइल में दर्शाया गया हो।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाय। प्रयोक्ता अभिकरण को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक कार्यान्वित नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीय,

(वाई० के० सिंह चौहान)
मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अति० वनमहानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान ।
3. उप वन संरक्षक, सीकर, राजस्थान ।
4. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड- नीम का थाना, सीकर, राजस्थान ।
5. आदेश पत्रावली ।

(वाई० के० सिंह चौहान)
मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)

